



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-25072026-274820
CG-UP-E-25072026-274820

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3888]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 23, 2026/श्रावण 1, 1948

No. 3888]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 23, 2026/SHRAVAN 1, 1948

रेल मंत्रालय

[उत्तर मध्य रेलवे (इंजीनियरिंग विभाग)]

अधिसूचना

प्रयागराज, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4058(अ).— केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन को इसका समाधान होने के पश्चात्, लोक प्रयोजनार्थ हेतु वह भूमि जिसका विवरण इस अधिसूचना में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अंतर्गत झांसी से कानपुर सेक्शन के मध्य पामा रेलवे स्टेशन पर स्थित मौजूदा मालगोदाम में माल दुलाई ग्राहक सुविधाओं का प्रावधान के लिए ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (भू.अ.), जिला कानपुर नगर, (उ.प्र.) को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे। सक्षम अधिकारी आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे तथा आक्षेपों की सुनवाई उपरांत आक्षेपों की जांच यदि कोई हो करने के पश्चात् सक्षम अधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का नक्शा और अन्य ब्यौरा उपलब्ध है। इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (भू.अ.), जिला-कानपुर नगर (उ.प्र.) कार्यालय में उनका निरीक्षण कर सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् झांसी से कानपुर सेक्शन के मध्य पामा रेलवे स्टेशन पर स्थित मौजूदा मालगोदाम में माल ढुलाई ग्राहक सुविधाओं का प्रावधान हेतु अर्जित किए जाने वाली भूमि का संरचना सहित या रहित संक्षिप्त विवरण:-

तहसील -अकबरपुर जिला- कानपुर देहात (उ.प्र.)				
क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रेलवे द्वारा अधिग्रहण किये जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	सूरजपुर	223	0.294	0.0439
2	सूरजपुर	224	0.328	0.0574
3	सूरजपुर	246	1.821	0.2268
4	सूरजपुर	247	0.287	0.0646
5	सूरजपुर	248	0.0517	0.0517
6	सूरजपुर	263	0.253	0.048
7	सूरजपुर	264	0.333	0.2182
8	सूरजपुर	265	0.372	0.0896
9	सूरजपुर	268	0.065	0.0103
10	सूरजपुर	272	0.082	0.0038
11	सूरजपुर	274	0.096	0.0018
12	सूरजपुर	283	0.195	0.110
13	सूरजपुर	284	0.399	0.100
14	सूरजपुर	285	0.338	0.0775
15	सूरजपुर	292	0.645	0.1415
16	गोपीपुर	215	0.635	0.0357
17	गोपीपुर	216	0.0410	0.0107
योग			6.2357 हेक्टेयर	1.2915 हेक्टेयर

[ई-फाइल नंबर: NCR-JHS0ENGG(LAND)/7/2026-O/o DEN/ TRACK/ JHS/ NCR (कंप्यूटर नंबर 170910)]

ए. के. मनुवाल, प्रमुख मुख्य अभियंता

MINISTRY OF RAILWAYS
[North Central Railway (Engineering Department)]
NOTIFICATION

PRAYAGRAJ, the 22nd July, 2026

S.O. 4058(E).— In exercise of the powers conferred under Section 20A of the Railways Act, 1989, and after being satisfied in this regard, the Central Government hereby declares its intention to acquire the land described in this notification for a public purpose. The land is situated in the State of Uttar Pradesh and is required under the Special Railway Project for the development of goods handling and customer facilities at the existing goods shed located at Paman Railway Station on the Jhansi–Kanpur section.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely Additional District Magistrate(L.A.) Kanpur Nagar, U.P, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available. An interested person may inspect them at the office of the competent authority, and the Additional District Magistrate(L.A.), District Kanpur Nagar, Uttar Pradesh."

SCHEDULE

Brief description of the land, with or without structures, proposed to be acquired for the provision of freight customer facilities in the existing goods shed located at PAMAN Railway Station in the area between Jhansi and Kanpur, as part of the Special Railway Project in the State of Uttar Pradesh.

Tehsil-Akbarpur District- Kanpur Dehat (U.P.)				
S.N.	Name of Village	Khasra / Plot No.	Total Area (In Hectare)	affected Area (In Hectare)
1	Surajpur	223	0.294	0.0439
2	Surajpur	224	0.328	0.0574
3	Surajpur	246	1.821	0.2268
4	Surajpur	247	0.287	0.0646
5	Surajpur	248	0.0517	0.0517
6	Surajpur	263	0.253	0.048
7	Surajpur	264	0.333	0.2182
8	Surajpur	265	0.372	0.0896
9	Surajpur	268	0.065	0.0103
10	Surajpur	272	0.082	0.0038
11	Surajpur	274	0.096	0.0018
12	Surajpur	283	0.195	0.110
13	Surajpur	284	0.399	0.100
14	Surajpur	285	0.338	0.0775
15	Surajpur	292	0.645	0.1415
16	Gopipur	215	0.635	0.0357
17	Gopipur	216	0.0410	0.0107
Total			6.2357 Hectare	1.2915 Hectare

[E-file No: NCR-JHS0ENGG(LAND)/7/2026-O/o DEN/ TRACK/ JHS/ NCR (Computer No. 170910)]

A. K. MANUWAL, Principal Chief Engineer